रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 464] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1985/आश्विन 8, 1907
No. 464] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1985/ASVINA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली 30 सितम्बर 1985

आदेश

का. आ. 712 (अ)/18कक/आई डी आर ए/85.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 65 (अ)/18कक/आई डी आर ए/78, तारीख 4 फरवरी, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) आंध्र प्रदेश राज्य के श्री काकुलम जिले के बोबिली में चीनी विनिर्माण करने वाले मैसर्स श्रीराम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एकक का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के क्रमश आदेश सं. का. आ. 901 (अ) तारीख 21 नवम्बर, 1980, का. आ. 619 (अ), तारीख 3 अगस्त, 1981, का. आ. 549 (अ), तारीख 2 अगस्त, 1982, का. आ. 83 (अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 2 फरवरी, 1983, का०आ० 547 (अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 2 अगस्त, 1993, का. आ. 65 (अ)/18कक/आई डी आर ए/84, तारीख 2 फरवरी 1984 का० आ० 556 (अ)/18कक/आई डी आर ए/84, तारीख 1 अगस्त, 1984, का. आ. 960 (अ)/18कक/आई डी आर ए/84, तारीख 27 दिसम्बर, 1984 और का. आ. 485 (अ)/18कक/आई डी आर ए/85, तारीख 25 जून, 1985 द्वारा उक्त आदेश को 30 सितम्बर 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए जारी रखा गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम 31 दिसम्बर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के प्रबंध के अधीन बना रहे;

अत: केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं० 4 (4)/78-सी. यू. एस]

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th September, 1985

ORDER

S.O. 712(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 65(E)|18AA|IDRA|78, dated the 4th February, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years from the date of publication of the said Order in the Official Gazette and the Nizam Sugar Factory Limited was authorised to take over management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 901(E), dated the 21st November, 1980, S.O. 619(E), dated the 3rd August, 1981, S.O. 549(E), dated the 2nd August, 1982, S.O. 83(E)|18AA|IDRA|83, dated the 2nd February, 1983, S.O. 547(E)|18AA|IDRA|83, dated the 2nd August, 1983, S.O. 65(E)|18AA|IDRA|84, dated the 2nd February, 1984, S.O. 556(E)|18AA|IDRA|84, dated the 2nd August, 1984, S.O. 960(E)|18AA|IDRA|84, dated the 27th December, 1984, and S.O. 485(E)|18AA|IDRA|85, dated the 25th June, 1985, respectively, the said Order was continued for a period upto and inclusive of the 30th September, 1985;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Nizam Sugar Factory Limited for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1985.

[File No. 4(4)/78-CUS]

आदेश

का. आ. 713 (अ)/18चख/आई डी आर ए/85—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 958 (अ)/18चख/आई डी आर ए/80 तारीख 10 दिसम्बर 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो 4 फरवरी, 1978 के पश्चात् किए गए हैं या हुए हैं या प्रवृत्त हुए हैं) जिनका आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के बाबिली में चीनी का विनिर्माण करने वाले मैसर्स श्रीराम शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकक या उक्त एकक का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है, या जो उक्त एकक या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन 3 अगस्त, 1981 तक का, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पहले उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के क्रमशः आदेश सं. का. आ. 622 (अ)/18 चख/आई डी आर ए/81, तारीख 1 अगस्त, 1981, का. आ. 550 (अ)/18चख/आई डी आर ए/82, तारीख 2 अगस्त, 1982, का. आ. 82 (अ)/18चख/आई डी आर ए/83, तारीख 2 फरवरी, 1983, का. आ. 546 (अ)/18 चख/आई डी आर ए/83 तारीख 2 अगस्त, 1983, का. आ. 66 (अ)/18चख/आई डी आर ए/84 तारीख 2 फरवरी, 1984, का. आ. 557 (अ)/18चख/आई डी आर ए/84, तारीख 2 अगस्त, 1984, का. आ. 961 (अ)/18चख/आई डी आर ए/84 तारीख 27 दिसम्बर, 1984 और का. आ. 486 (अ)/18चख/आई डी आर ए/85, तारीख 25 जून, 1985 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 30 सितम्बर, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी है, सम्मिलित और रखा गया था;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है), 31 दिसम्बर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) 31 दिसम्बर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 4 (4)/78-सी. यू. एस.]

ए. बी. गोकाक, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 713(E)|18FB|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry (Department of Industrial Development) N. S.O. 958 (E)|18FB|IDRA|80, dated the 10th December, 1980 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those which have been entered into, arrived at or come into force after the 4th February, 1978), to which the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bob-

ili in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh of the company owning the said unit is a party which may be applicable to the said unit or company, shall remain suspended for a period upto and inclusive of the 3rd August, 1981 and all the rights, rivileges, obligations and liabilities accruing or arising ıere under before the date of issue of the said Order ıall remain suspended for the said period;

And whereas, by the Orders of the Central Government in the Ministry of Industry (Department of ıdustrial Development) Nos. S.O. 622(E)|18FB|DRA|81, dated the 4th August, 1981, S.O. 550(E)|8FB|IDRA|82, dated the 2nd August, 1982, S.O. 82 3)|18FB|IDRA|83, dated the 2nd February, 1983, O. 548(E)|18FB|IDRA'83, dated the 2nd August, 983, S.O. 66(E)|18FB|IDRA|84, dated the 2nd ebruary, 1984, S.O. 557(E)|18FB|IDRA|84, dated e 2nd August, 1984, S.O. 961(E)|18FB|IDRA|84, ıted the 27th December, 1984 and S.O. 486(E)|3FB|IDRA|85, dated the 25th June, 1985 respecrely, the duration of the said Order was continued upto and inclusive of the 30th September, 1985 (in respect of all matters except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) should be extended for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1985.

[F. No. 4(4)|78-CUS|.
A. V. GOKAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985